न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 128/2017

विजयसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मम्मडखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ———अपीलार्थी

बनाम

1. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड प्रथम, हनुमानगढ संगम, हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।
2. अधिशाषी अभियंता गंगनहर ओ.एफ.डी.खण्ड–7, सिंचाई क्षेत्र विभाग श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर।
4. रणवीर पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन मम्मडखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त.अधि.1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 30.08.2017

उपस्थितिः–

श्री प्रेम सेवटा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री इकबालसिंह राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 से 3

श्री रामेश्वर सुथार अभिभाषक रेस्पों. 4

निर्णय दिनांक :–07.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पेश कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी चक 11 एसडीपी के खाता संख्या 32/31 प.न. 23/179 मु.नं. 29 के कि.नं. 1 से 5 की रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

7/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी सं. 1 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि कि.नं. 1 से 5 सीसीए रिकार्ड में जल मार्ग स्वीकृत है जिसमें जलमार्ग का निर्माण किया जाना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 30.08.2017 को प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हर प्रकार से मामला प्रार्थी का बनता था। अधी. न्यायालय ने धारा 212 आर.टी.ए. के तीनों बिन्दुओं का कोई विवेचन नहीं किया। मु.नं. 29 के कि.नं. 5 में अपीलांट की पुरानी ढाणी बनी हुई है। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थी का धारा 212 आर.टी.ए. का प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि कि.नं. 1 से 5 में सिंचाई रिकार्ड में जल मार्ग स्वीकृत है। स्वीकृत स्थान पर ही जल मार्ग का निर्माण किया जाना है। प्रार्थी यथास्थिति की आड में निर्माण कार्य को रोकना चाहता है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कि.नं. 1 से 5 में सीसीए रिकार्ड के अनुसार जलमार्ग स्वीकृत है जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा पक्का निर्माण किया जाना है। अधी. न्यायालय ने निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न होने को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज किया है। प्रार्थी/अपीलांट ने ऐसा कोई कथन नहीं किया कि कि.नं. 1 से 5 में जलमार्ग स्वीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं पाये जाने से अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी

खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर